राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प गोडिया बड़ा

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोडिया बड़ा वं भू.अ.नि. तिहावली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम साजासर (साजासर) तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 61 नया 57 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्रमं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	साजासर रहन व अन्य पंचायत	61 नया 57 पुराना प्रविष्टि	ताराचन्द पुत्र नाराणा देवूराम पुत्र नाराणा निवास पुत्र नाराणा (श्रीमती) मु: गीता पत्नी नारायणा समस्त जाति चमार	ताराचन्द पुत्र नारायण देवूराम पुत्र नारायणराम रामनिवास पुत्र नारायणराम श्रीमती गीता पत्नी नारायण राम समस्त जाति मेघवाल

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :- 1759 दि. 31/5/18

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ताराचन्द पुत्र नारायण व अन्य समस्त जाति को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। मेघवाल नि. साजासर

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)